IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-112/16

SRINARAYAN SHARMA & OTHERS.......................................PLAINTIFFS

Vs.

HARIHAR NARAYAN & OTHERS.....................................DEFENDANTS

11.11.19 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। वादी के आवेदन दिनांक– 29.03.19, अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर आदेश हेतु अभिलेख प्रस्तुत हुआ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी के आवेदन दिनांक– 18.02.19 के द्वारा वादी को मालूम हुआ कि प्रतिवादी संख्या–20 राम पुकार राय कर निधन दिनांक–15.04.17 को हो चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या–20 के वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी की ओर से उक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का प्रतिस्थापन आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है, परन्तु विलंब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में 500 /– रु0 कॉस्ट पर स्वीकृत किया जाता है। वादी कॉस्ट की राशि एवं प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु सम्मन की अपेक्षिताएं दाखिल करें।

दिनांक– 16.12.19 वास्ते अदायगी कॉस्ट की राशि एवं करने दाखिल सम्मन की अपेक्षिताएं।

अवर न्यायाधीश
11/11/19